न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 336/2016 **दायरा दिनांक : 03.10.2016**

उनवान

1— जानकी बाई बेवा मांगीलाल जी, जाति मेघवाल (चमार), निवासी ग्राम अर्डान्द, तहसील अटरू, जिला बारां

2— पाना बाई पुत्री मांगीलाल जी, जाति मेघवाल (चमार), निवासी ग्राम अर्डान्द, तहसील अटरू, जिला बारां

3— सावित्री बाई पुत्री मांगीलाल जी, जाति मेघवाल (चमार), निवासी ग्राम अर्डान्द, तहसील अटरू, जिला बारां

4— गोपाल पुत्र मांगीलाल जी, जाति मेघवाल (चमार), निवासी ग्राम अर्डान्द, तहसील अटरू, जिला बारां

5— रमेश चन्द पुत्र मांगीलाल जी, जाति मेघवाल (चमार), निवासी ग्राम अर्डान्द, तहसील अटरू, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— घांसीलाल आत्मज शंकरलाल, जाति कोली, निवासी ग्राम अर्डान्द, तहसील अटरू, जिला बारां मृतक कायम मुकामान —

1/1— जगन्नाथ उर्फ लटूरलाल पुत्र घांसीलाल, जाति कोली, निवासी ग्राम अर्डान्द, तहसील अटरू, जिला बारां

2— मदनलाल आत्मज सुखलाल, जाति धाकड़, निवासी ग्राम अर्डान्द, तहसील अटरू, जिला बारां

3— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अटरू

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री घनश्याम नागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बृजराजसिंह एवं धर्मेन्द्र चौधरी अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 31.10.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या — 34/2010 निर्णय व डिक्री दिनांक 29.08.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगणी अपीलांट ने रेस्पोडेंटगण एवं अन्य के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया ग्राम अर्डान्द तहसील अटरू जिला बारां में पुराना खसरा नम्बर 228 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 235 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा कुल 2 किता रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा स्थित है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 261 रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 262 रकबा 0.19 हेक्टर, खसरा नम्बर 228/1211 रकबा 0.22 हेक्टर, खसरा नम्बर 229 रकबा 0.17 हेक्टर कुल 4 किता की 0.62 हेक्टर बनाये गये हैं जो आराजी वादी अपीलांट को दिनांक 22.06.74 को आवंटित की गई थी । आवंटन के बाद से ही अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त है । वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त व स्वामित्व अपीलांट को होने के बावजूद भी प्रतिवादी क्रम 3 के अधीनस्थ कर्मचारियों व आवंटन समिति ने दिनांक 28.06.81 को घांलीलाल प्रतिवादी क्रम 1 को पुराना खसरा नम्बर 228 रकबा 2 बीघा

6 बिस्वा, खसरा नम्बर 235 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा आवंटन करवा दी जो अवैधानिक एंव गैर कानूनी है तथा दिनांक 12.09.2005 को नवीन खसरा नम्बर 262 रकबा 0.19 हेक्टर आराजी मदनलाल रेस्पोडेंट नम्बर 2 को आवंटित करवा दी जबकि रेस्पोडेंट नम्बर 2 भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता है । अपीलांट वक्त आवंटन दिनांक 22.06.74 से बिना किसी रूकावट एवं व्यवधान के निरन्तर वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है । अपीलांट का लम्बे समय से कब्जे के आधार पर एडवर्स पेजेशन (कब्जा मुखालफाना) बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ के तहत खातेदार कृषक हो गया है । अपीलांट के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी पर रेस्पोडेंट क्रम 1 व 2 बिना किसी कानूनी अधिकार के दादागिरी के बल पर कब्जा करने, रहन बेचान करने पर आमादा है, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का वाद दिनांक 29.08.2016 को खारिज कर दिया, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि न्याय एवं संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवायी एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया । वादग्रस्त आराजी अपीलांट के पिता एवं पति मांगीलाल आत्मज बंशीलाल को ग्राम अर्डान्द, तहसील अटरू की खसरा नम्बर 228 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 235 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा कुल 2 किता रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा का आवंटन आवंटन कमेटी द्वारा नियमानुसार दिनांक 22.06. 74 को आवंटन कर दखल दिया गया और राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज किया गया तब से ही उक्त आवंटन आराजी पर अपीलांट के पिता व पति काबिज काश्त होकर काश्त करते चले आ रहे हैं दिनांक 28.05. 2012 को अपीलांट के पिता का स्वर्गवास हो गया । आवंटित आराजी के बाद सैटलमेंट नवीन खसरा नम्बर 261 रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 262 रकबा 0.19 हेक्टर, खसरा नम्बर 228/1211 रकबा 0.22

हेक्टर, खसरा नम्बर 229 रकबा 0.17 हेक्टर कुल 4 किता की 0.62 हेक्टर कायम किये गये । वादग्रस्त आराजी सहवन से राजस्व रेकार्ड में सिवाय चक दर्ज होने के कारण रेस्पोडेंट क्रम 1 एवं 2 को आवंटित हो गई जिसे निरस्त किया जावे । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई । अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट को आवंटित हुई थी जिस पर वह काबिज काश्त है । सैटलमेंट के बाद गलत रूप से अपीलांट का नाम हटा दिया है । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने अपने दावे को सिद्ध कर दिया था फिर भी दावा खारिज किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि वादी अपने दावे को सिद्ध नहीं कर पाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिसम्मत रूप से दावा खारिज किया है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमी है। अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली का दस्तावेजी एवं साक्ष्य का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तनकीयात का निर्णय उपलब्ध

दस्तावेजों एवं साक्ष्य के आधार पर विधि सम्मत तरीके से किया गया है जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं न ही अपीलांट द्वारा अन्य कोई दस्तावेजी सबूत या साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं जिसके आधार पर अपीलांट को खातेदारी घोषणा की जा सके । रेस्पोडेंट को उक्त विवादित जमीन का आवंटन दिनांक 28.06.1981 का है तथा तत्पश्चात् रेस्पोडेंट को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं । अतः अपीलांट को किसी प्रकार की राहत दिया जाना संभव नहीं है । अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.08.2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा